न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज०)

प्रकरण सं0 : 33/2018

अनवान :

1. राजेशकुमार पुत्र भगवानदास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. सुरेशकुमार पुत्र भगवानदास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. पवनकुमार पुत्र भगवानदास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. नर्मदा पुत्री भगवानदास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. अनीता पुत्री भगवानदास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. पिंकी पुत्री सन्तोषकुमार पुत्र भगवानदास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां : वादी
वकील श्री उम्मेद मोठसरा – प्रतिवादी सं0 1 ता 5

निर्णय **दिनांक : 20.2.19**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 6 बीएचडी के खाता सं0 42/41 के मु0नं0 49 के किला नं0 16/1 की 0.252 है0, किला नं0 17/1 की 0.020 है0, मु0नं0 50 के किला नं0 20/1 की 0.089 है0 कुल 0.361 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादी की माता देवकी देवी पत्नी भगवानदास के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि वादी की माता देवकीदेवी के नाम से दर्ज चली आ रही है। वादी की माता देवकीदेवी का दिनांक 24.03.2017 को देहान्त हो गया जिस पर उक्त वादभूमि जो देवकीदेवी के नाम से दर्ज है, वह वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा वादी की माता देवकीदेवी के बाहरवें वाले दिन ही प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था। जिस पर कुल वादभूमि वादी को प्राप्त हो गई थी।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किये गये। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 6 फोरमल पार्टी है इसलिए पेरोकार राज के जबाब की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली साक्ष्य वादी के लिए रखी गई।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ)

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 राजेशकुमार पुत्र भगवानदास के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित चित्र प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 बीएचडी खाता सं0 42/41 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, प्रार्थना पत्र सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र 3ए व 4ए प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि वादी की माता देवकीदेवी पत्नी भगवानदास के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी की माता देवकीदेवी का दिनांक 24.03.2017 को देहान्त हो गया। वादी की माता देवकीदेवी के बाहरवें वाले दिन ही प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 6 बीएचडी के राजस्व रिकार्ड में अपनी माता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि अपनी माता देवकीदेवी के नाम से दर्ज होना व देवकीदेवी का दिनांक 24.03.2017 को देहान्त होना अंकित किया है। जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रमाणित चित्र प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 बीएचडी खाता सं0 42/41 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, प्रार्थना पत्र सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र 3ए व 4ए प्रदर्शित करवाये है। वादी द्वारा प्रदर्शित उक्त दस्तावेज के अवलोकन से वादी की माता की मृत्यु होना व वाद कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अब भी वादी की माता देवकीदेवी के नाम ही दर्ज चले आना साबित है। वादी व प्रतिवादीगण का आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है इस प्रकार वादी के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 6 बीएचडी के खाता सं0 42/41 के मु0नं0 49 के किला नं0 16/1 की 0.2520 है0, जिसमें से नहरी 0.2390 है0, गै0मु0रास्ता 0.0130 है0, किला नं0 17/1 की 0.0200 है0, नहरी मु0नं0 50 के किला नं0 20/1 की 0.0890 है0 जिसमें से नहरी 0.0760 है0, गै0मु0रास्ता 0.0130 है0, कुल 0.3610 है0, जिसमें नहरी 0.3350 है0, रास्ता 0.0260 है0 खातेदारी कृषि भूमि वादी की माता देवकी देवी पत्नी भगवानदास के नाम से खातेदारी दर्ज है के बजाय वादी राजेश कुमार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त देवकी देवी का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर वाद भूमि वादी राजेश कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी, भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 33/2018

अनवान :

1. राजेशकुमार पुत्र भगवानदास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. सुरेशकुमार पुत्र भगवानदास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. पवनकुमार पुत्र भगवानदास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. नर्मदा पुत्री भगवानदास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. अनीता पुत्री भगवानदास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. पिंकी पुत्री सन्तोषकुमार पुत्र भगवानदास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 5 श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 6 बीएचडी के खाता सं0 42/41 के मु0नं0 49 के किला नं0 16/1 की 0.2520 है0, जिसमें से नहरी 0.2390 है0, गै0मु0रास्ता 0.0130 है0, किला नं0 17/1 की 0.0200 है0, नहरी मु0नं0 50 के किला नं0 20/1 की 0.0890 है0 जिसमें से नहरी 0.0760 है0, गै0मु0रास्ता 0.0130 है0, कुल 0.3610 है0, जिसमें नहरी 0.3350 है0, रास्ता 0.0260 है0 खातेदारी कृषि भूमि वादी की माता देवकी देवी पत्नी भगवानदास के नाम से खातेदारी दर्ज है के बजाय वादी राजेश कुमार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त देवकी देवी का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर वाद भूमि वादी राजेश कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी, भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़